न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–386/2018

1. जगदीपसिह
2. कुलदीपसिह

} पि0 बुटासिह जाति जटसिख निवसी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. बुटासिह पुत्र मुखत्यारसिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रणदीपकौर पुत्री बुटासिह पत्नी गुरप्रीत सिह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर।
3. वीनूकौर पुत्री बुटासिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. गुरजीतकौर कौर पत्नी बुटासिह जाति जटसिख निवसी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री जयनारायण शर्मा अधिवक्ता वादीगण
श्री संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 05.07.2019

वादीगण जगदीपसिह आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बावत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादीसं0 1 वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 का पिता है जिसके नाम चकनं0 3 बी आर डबल्यू जमाबन्दी संवत 2070 ता 73 के खाता सं0 1 में प0न0 231/314 मु0 25 किलानं0 14,15,16/.759 है0 कुल किता 3 तादादी रकबा .759 है0 नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण को प्रतिवादीसं0 1 ने उक्त भूमि बाहमी विभाजन कर सोंप दी है तथा वादीगण अपने परिवार से अलग रह रहे है। उक्त आराजी वादीगण के पिता के नाम दर्ज है जिसमें वादीगण का कानूनन हक व हिंस्सा है। विवादित आराजी में वादीगण ब0हि0ब0 भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। घरू विभाजन में प्रतिवादीसं0 1 द्वारा अपने हक व हिस्सा की आराजी दीगर चकूक में प्राप्त कर ली थी व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का त्याग वादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में ब0हि0ब0 कर दिया था। लेकिन वादपत्र की दफा 2 मे वर्णित आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में ब0हि0ब0 अंकन नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारें का हनन होता है इसलिए वादीगण वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादीसं0 1 के नाम की आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में ब0हि0ब0 अंकन करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज वादीगण के नाम से ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादीगण ने अदालत में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है व आपस में रक्त सम्बन्धी है। वादपत्र की दफा

सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

2 में वर्णित आराजी में हम प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का हक त्याग वादीगण के पक्ष में ब0हि0ब0 किया हुआ है व कोई हिस्सा नही लेनाचाहती है। प्रतिवादीसं0 1 ने वादपत्र कीदफा 2 में दर्ज आराजी वादीगण को घ्झारू विभाजन में ब0हि0ब0 दी हुई है तथा प्रतिवादी ने अपने हिस्सा की भूमि अलग से अन्य चकूक में प्राप्त कर ली है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पर वादीगण का ब0हि0ब0 कब्जा चला आ रहा है। इसलिए वादपत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी वादीगण के नाम से ब0हि0ब0 दर्ज कर चकनं0 3 बी आर डबल्यू के जमाबन्दी सं0 2070 ता 73 के खाता संख्या 1 में से प्रतिवादीसं0 1 बुटासिंह का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नहीं है।राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो राजीनामा के साथ शामिल कर बाद तस्दीक राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उपरोक्त आराजी का आपस में राजीनामा हो गया है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी सं0 1 बुटासिह के नाम से दर्ज चकनं0 3 बी आर डबल्यू जमाबन्दी संवत 2070 ता 73 के खाता सं0 1 में प0न0 231/314 मु0 25 किलानं0 14,15,16/.759 है0 कृर्षि भूमि के वादीगण सं0 1 व 2 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 3 बी आर डबल्यू जमाबन्दी संवत 2070 ता 73 के खाता सं0 1 मे से प्रतिवादीसं0 1 बुटासिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( मीनू वर्मा )
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर–386/2018

1. जगदीपसिह
2. कुलदीपसिह

} पि0 बुटासिह जाति जटसिख निवसी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. बुटासिह पुत्र मुखत्यारसिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रणदीपकौर पुत्री बुटासिह पत्नी गुरप्रीत सिह जाति जटसिख निवासी गदरखेड़ा तहसील सादुलशहर।
3. वीनूकौर पुत्री बुटासिह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. गुरजीतकौर कौर पत्नी बुटासिह जाति जटसिख निवसी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जयनारायण शर्मा वकील वादी मिन जानिब मुदई श्री संजय शर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 बुटासिह के नाम से दर्ज चकनं0 3 बी आर डबल्यू कें प0न0 231/314 मु0 25 किलानं0 14,15,16/.7590 है0 कृर्षि भूमि के वादीगण सं0 1 व 2 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व प्रतिवादीसं0 1 बुटासिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05-07-2019 को जारी किया गया।

( मीनू वर्मा )
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner